भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या- 95

उत्तर देने की तारीख-29/07/2024

उच्च शिक्षा को बढ़ावा

†*95. श्री मनीष जायसवाल:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने झारखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कोई पहल की है;
(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा आरंभ किए गए कार्यक्रमों/योजनाओं का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार की झारखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में उच्च शिक्षा अवसंरचना में और अधिक वृद्धि करने के लिए मौजूदा योजनाओं का विस्तार करने अथवा नई योजनाएं शुरू करने की कोई योजना है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या उच्च शिक्षा प्राप्त करने में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों की सहायता करने के लिए विशिष्ट छात्रवृत्तियां या वित्तीय सहायता उपलब्ध है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (ङ): विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

******

'उच्च शिक्षा को बढ़ावा' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री मनीष जायसवाल द्वारा दिनांक 29.07.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 95 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (घ): चूंकि शिक्षा समवर्ती सूची में है, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना केंद्र सरकार और राज्य सरकारों, दोनों का दायित्व है। हालाँकि, केंद्रीय सहायता की आवश्यकता को समझते हुए, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों की सहायता के लिए विभिन्न योजनाएँ लागू की हैं। मंत्रालय द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप बनाया गया है। एनईपी 2020 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा जन्म या पृष्ठभूमि की परिस्थितियों के कारण शिक्षण और उत्कृष्टता प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रहे। इसमें सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) के सरोकारों को ध्यान में रखा है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भौगोलिक पहचान जैसे गाँवों, छोटे शहरों और आकांक्षी जिलों और अन्य श्रेणियों के छात्र शामिल हैं। इस नीति का उद्देश्य पहुँच, भागीदारी और अधिगम परिणामों में सामाजिक श्रेणी का अंतर कम करना है।

मंत्रालय ने जून 2023 में शैक्षणिक रूप से असेवित/ अल्पसेवित क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए 12926.10 करोड़ रुपये के परिव्यय से प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-यूएसएचए) के रूप में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) के तृतीय चरण की शुरुआत की है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों सहित विशिष्ट राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों का वित्तपोषित करना है, ताकि निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप उनकी गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। पीएम-यूएसएचए के तहत फोकस जिलों को प्राथमिकता दी जाती है। फोकस जिलों की पहचान संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विभिन्न मानदंडों के आधार पर की जाती है, जिनमें निम्न सकल नामांकन अनुपात, लैंगिक समानता, महिलाओं, ट्रांसजेंडरों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए जनसंख्या अनुपात और नामांकन अनुपात, आकांक्षी/सीमावर्ती क्षेत्र/वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले आदि शामिल हैं। इस योजना के तहत, झारखंड में रूसा और पीएम-यूएसएचए के विभिन्न घटकों के तहत कुल 775.46 करोड़ रुपये की राशि वाली 104 इकाइयों को अनुमोदित किया गया है। पिछले पांच वर्षों (2019-20 से 2023-24 तक) में झारखंड को 108.17 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

इसके अलावा, झारखंड राज्य में मंत्रालय के तहत अन्य विभिन्न उच्च शिक्षा परियोजनाओं और पिछले पांच वर्षों (2019-20 से 2023-24 तक) के दौरान जारी धनराशि का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	झारखंड में परियोजनाओं का नाम	जारी की गई निधि (करोड़ रु.)
1	झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय	388.94
2	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (भारतीय खनि विद्यापीठ), धनबाद	1,584.31
3	भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), रांची	167.68
4	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) रांची	66.82
5	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर	534.57
6	राष्ट्रीय उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएएमटी), रांची	191.08

(ड): मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (पीएम-यूएसपी) योजना नामक व्यापक योजना के अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं लागू की जा रही हैं, जिनके नाम हैं (i) कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए पीएम-यूएसपी केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएसएसएस), (ii) जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए पीएम-यूएसपी विशेष छात्रवृत्ति योजना और (iii) पीएम-यूएसपी केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना (सीएसआईएस)। इसके अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता देने के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति या वित्तीय सहायता योजनाएं नामत: पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए ईशान उदय विशेष छात्रवृत्ति योजना और पीजी अध्ययन के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति लागू कर रहा है। इसी तरह, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता देने के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति या वित्तीय सहायता योजनाएं नामत: स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति योजना, प्रगति छात्रवृत्ति योजना, सक्षम छात्रवृत्ति योजना और स्वनाथ छात्रवृत्ति योजना लागू कर रहा है।

*****